बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– व.सं. / 30 / 2018–

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, पूर्णियाँ

पटना 14, दिनांक–

विषय – कटिहार जिलान्तर्गत NH-131A के कि०मी० 49 (LC No. KB/1B) एवं कि०मी० 46 (LC No.- KT-2-2B) पर प्रस्तावित ROB एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.382 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग – कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ का पत्रांक 148 अनु० दिनांक 05.02.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Road/32998/2018/2663 दिनांक 12.10.2018 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त्तों के अनुपालन का अनुरोध इस कार्यालय के पत्रांक FC-1171 दिनांक 26.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा किया गया था।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Road/32998/2018/2663 दिनांक 12.10.2018 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक FC-1171 दिनांक 26.10.2018 द्वारा शर्त्त संख्या (2) एवं (4) के आलोक में कुल राशि रू० 17,14,298 / – (रूपये सत्रह लाख चौदह हजार दो सौ अनठानवें) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराते हुए कंडिकावार (1–19) अनुपालन की मांग की गयी थी।

3. प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 17,14,298 / – (रूपये सत्रह लाख चौदह हजार दो सौ अनठानवें) मात्र को Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर जमा कराते हुए Working Permission उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तद्आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 252 दिनांक 08.03.2021 द्वारा Working Permission निर्गत करने का निर्देश क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर को दिया गया है।

4. उक्त राशि में शर्त्त संख्या (4) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल प्राक्कलित राशि रू० 14,75,166 / – (रूपये चौदह लाख पचहत्तर हजार एक सौ छियासठ) मात्र की राशि भी समाहित था जिसका आकलन तत्कालीन मजदूरी दर रू० 254 / – प्रतिमानव दिवस पर किया गया था।

5. उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिसूचनाओं के आलोक में वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 292/– प्रतिमानव दिवस हो गया है।

6. इस कार्यालय के पत्रांक FC-1171 दिनांक 26.10.2018 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल प्राक्कलित राशि रू० 14,75,166/– (रूपये चौदह लाख पचहत्तर हजार एक सौ छियासठ) मात्र के मांग पत्र को श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 292/– प्रतिमानव दिवस पर संशोधित करने पर रू० 16,95,851/– (रूपये सोलह लाख पंचानवें हजार आठ सौ एकावन) मात्र का आकलन किया गया है।

7. उपर्युक्त के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण मद के अन्तर की राशि (रू० 16,95,851–14,75,166 = 2,20,685/–) रू० 2,20,685/– (रूपये दो लाख बीस हजार छः सौ पचासी) मात्र को **मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

8. निर्धारित अवधि में क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि जमा नहीं करने पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

9. उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Road/32998/2018/2663 दिनांक 12.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (Stage-II) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– व.सं./30/2018–264 दिनांक– 09/03/2021

प्रतिलिपि– वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ/वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

9.3.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।